यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय**, **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक**, **पौड़ी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक**, **पौड़ी** के 03/2016 से 11/2018 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री ललित थपलियाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री पवन कोठारी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्रीशैलेंद्र कुमार पांडेय**,** वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 03.12.2018 से 07.12.2018 तक श्री प्रभाकर दुबे**,** **लेखापरीक्षा** अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग-प्रथम

1- परिचयात्मक- इस कार्यालय की विगत लेखापरीक्षा श्री राम सनेही एवं श्री एस. के**.** सिंह**,** सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनाँक 8/3/2016 से 17/3/2016 तक श्री पी. सी. श्रीवास्तव**,** लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गयी थी**,** जिसमे माह 02/15 से 02/16 तक के अभिलेखों की जांच की गयी।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 06/2016 से 05/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) इकाई के क्रियाकलाप एवंभौगोलिक अधिकार क्षेत्र-**पौड़ी**

(ii)(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत् हैः-

(रू लाख में)

	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य(+)	बचत(-)
	स्थापना	गैरस्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	-	-	4270.39	4262.89	223.45	210.13	-	20.87
2016-17	-	-	4732.47	4712.55	399.87	380.95	-	38.84
2017-18	-	-	6524.3	6516.19	381.63	378.58	-	11.16
2018-19 (11/2018 तक)	-	-	5988.34	4188.34	412.66	258.03	-	-

(ब) Autonomous Bodies विगत तीन वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थितिः निरंक।

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः-

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय आधिक्य(+)	बचत(-)
.....शून्य.....					

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैरस्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुये इकाई "सी"श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
उप पुलिस अधीक्षक
निरीक्षक
उप निरीक्षक

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय**, **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक**, **पौड़ी** की लेखापरीक्षा में लेन-देन-कम-अनुपालन को आच्दादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय**, **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक**, **पौड़ी** की लेखापरीखा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/17, 08/17 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसा रसम्पादित की गयी।

भाग-II'अ'

प्रस्तरः1- उत्तराखंड शासन के स्पष्ट अधिसूचना के बावजूद मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत किए गए अपराध के विरुद्ध ₹ 17.76 लाख कम राजस्व की वसूली।

उत्तराखंड शासन के परिवहन अनुभाग द्वारा जारी अधिसूचना 8/2016 के द्वारा राज्यपाल महोदय ने मोटरयान अधिनियम 1988 (अधिनियम सं. 59 सन 1988) की धारा 217(1) एवं संपठित धारा 21 साधारण खंड अधिनियम 1897 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश दिया था कि स्तम्भ तीन में उल्लिखित अपराध धारा 179(1), 179(2), एवं 184 के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए क्रमशः ₹ 500, 500 एवं 1000 की दर से प्रशमन शुल्क माह 8/16 से वसूल किया जाएगा।

उपर्युक्त अधिसूचना के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद पौड़ी के अंतर्गत विद्यमान दो क्षेत्राधिकारियों, सदर एवं कोटद्वार के अंतर्गत आने वाले थानों द्वारा माह 8/16 से माह 11/18 तक उपर्युक्त धाराओं में किए गए अपराधों एवं वसूले गए प्रशमन शुल्क से संबन्धित मांगी गयी सूचना के आधार पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि क्षेत्राधिकारी कोटद्वार के अंतर्गत कुल ₹ 1722500.00 वसूला जाना था, जबकि उनके द्वारा मात्र ₹ 999600.00 वसूला गया था। इस प्रकार कुल ₹ 722900.00 कम की वसूली की गयी थी। उसी प्रकार क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा ₹ 2084000.00 के स्थान पर मात्र ₹ 1030800.00 की ही वसूली की गयी थी। इस प्रकार ₹ 1053200.00 कम की वसूली की गयी थी। इस प्रकार दोनों क्षेत्राधिकारियों के क्षेत्र में किए गए वसूली के आधार पर उक्त अवधि में ₹ 3806500.00 के स्थान पर ₹ 2030400.00 की ही वसूली की गयी थी, अथार्त ₹ 1776100.00 (संलग्नक) कम की वसूली संज्ञान में आयी जो शासन के लिए शुद्ध राजस्व की हानि थी। उक्त हानि कार्य में शिथिलता का द्योतक था तथा उपर्युक्त निर्धारित दर से कम वसूली के कारण था।

इस ओर विभाग का ध्यान आकृष्ट किए जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि अधिसूचना विलंब से प्राप्त होने के कारण यह स्थिति हुई एवं जाँच के उपरांत अनुपालन आख्या प्रेषित की जाएगी।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है कारण कि शासन की अधिसूचना वर्तमान समय में सूचना तंत्र की गति के कारण नेट इत्यादि पर भी उपलब्ध रहती है एवं विधि की भूल क्षम्य नहीं है। यह स्पष्ट लापरवाही का द्योतक है जिससे इतने लंबे समय तक त्रुटि होती रही एवं शासन को राजस्व की हानि होती रही।

अतः ₹ 17.76 लाख कम राजस्व वसूलने के कारण शासन को हुई राजस्व की हानि का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

धारा 179(1) 179(2) एवं 184 के तहत किये गये अपराध की प्राप्त सूचना के आधार पर विवरण की सूचीः

क्षेत्राधिकारी कोटद्वार

क्र. सं.	माह	धारा	अपराधों की संख्या	वसूली गई धनराशि	धनराशि जो वसूल की जानी थी।	कम वसूली गई धनराशि
1.	08/2016	179(1) 184	40 12	4000 2800	20000 12000	16000 9200
2.	09/2016	179(1) 184	50 25	5000 4500	25000 25000	20000 20500
3.	10/2016	179(1) 184	22 30	2200 8800	11000 30000	8800 21200
4.	11/2016	179(1) 184	31 34	3100 8400	15500 34000	12400 25600
5.	12/2016	179(1) 184	22 35	2200 9500	11000 35000	8800 25500
6.	01/2017	179(1) 184	72 22	7200 4700	36000 22000	28800 17300
7	02/2017	179(1) 184	18 12	1800 3500	9000 12000	7200 8500
8.	03/2017	179(1) 184	44 18	4400 5400	22000 18000	17600 12600
9.	04/2017	179(1) 184	75 15	7500 7700	37500 15000	30000 7300
10.	05/2017	179(1) 184	24 61	8300 53000	12000 61000	3700 8000
11.	06/2017	179(1) 184	47 42	15100 28600	23500 42000	8400 13400
12.	07/2017	179(1) 184	28 40	7600 28000	14000 40000	6400 12000
13.	08/2017	179(1) 184	34 23	7400 12600	17000 23000	9600 10400
14.	09/2017	179(1) 184	104 33	20000 18600	52000 33000	32000 14400
15.	10/2017	179(1) 184	80 40	20000 22700	40000 40000	20000 17300
16.	11/2017	179(1) 184	125 28	32300 20100	62500 28000	30200 7900

17.	12/2017	179(1) 184	103 34	32900 25100	51500 34000	18600 8900
18.	01/2018	179(1) 184	106 26	25000 24100	53000 26000	28000 19000
19.	02/2018	179(1) 184	86 22	16800 22000	43000 22000	26200 -
20.	03/2018	179(1) 184	122 15	26000 15000	61000 15000	35000 -
21.	04/2018	179(1) 184	78 18	16900 18000	39000 18000	22100 -
22.	05/2018	179(1) 184	115 27	43400 27000	57500 27000	14100 -
23.	06/2018	179(1) 184	70 15	21300 15000	35000 15000	13700 -
24.	07/2018	179(1) 184	88 21	34600 21000	44000 21000	9400 -
25.	08/2018	179(1) 184	132 23	46800 23000	66000 23000	19200 -
26.	09/2018	179(1) 184	109 42	26400 42000	54500 42000	28100 -
27.	10/2018	179(1) 184	75 18	30800 18000	37500 18000	6700 -
28.	11/2018	179(1) 184	55 14	27500 14000	27500 14000	- -
योगः				**999600**	**1722500**	**722900**

सेनाधिकारी सदर

क्र.सं.	माह	अपराध धारा	अपराधों की संख्या	वसूली गई धनराशि	धनराशि जो वसूल की जानी थी।	कम वसूली गई धनराशि
1.	08/2016	179(1) 179(2) 184	156 12 15	20400 2500 6400	78000 6000 15000	57600 3500 8600
2.	09/2016	179(1) 179(2) 184	252 84 30	32600 17300 15000	1,26000 42000 30000	93400 24700 15000
3.	10/2016	179(1) 179(2) 184	310 1 08	36600 200 1600	1,55,000 500 8000	1,18,400 300 6400
4.	11/2016	179(1) 179(2) 184	195 1 11	23200 200 3300	97500 500 11000	74300 300 7700
5.	12/2016	179(1) 179(2) 184	449 - 11	49600 - 2900	224500 - 11000	174900 - 8100
6.	01/2017	179(1) 179(2) 184	125 - 06	17600 - 1800	62500 - 6000	44900 - 4200
7.	02/2017	179(1) 179(2) 184	102 - -	11800 - -	51000 - -	39200 - -
8.	03/2017	179(1) 179(2) 184	111 - 1	14800 - 300	55500 - 1000	40700 - 700
09.	04/2017	179(1) 179(2) 184	113 - 15	18000 - 2900	56500 - 15000	38500 - 12100
10.	05/2017	179(1) 179(2) 184	122 - -	20800 - -	61000 - -	40200 - -
11.	06/2017	179(1) 179(2) 184	144 - 1	22200 - 1000	72000 - 1000	49800 - -
12.	07/2017	179(1) 179(2) 184	203 - 1	30700 - 1000	101500 - 1000	70800 - -
13.	08/2017	179(1)	76	14500	38000	23500

		179(2) 184	- 3	- 3000	- 3000	- -
14.	09/2017	179(1) 179(2) 184	95 - 5	23400 - 2700	47500 - 5000	24100 - 2300
15.	10/2017	179(1) 179(2) 184	56 - 5	9600 - 1700	28000 - 5000	18400 - 3300
16.	11/2017	179(1) 179(2) 184	15 - -	4700 - -	7500 - -	2800 - -
17.	12/2017	179(1) 179(2) 184	20 - 4	8600 - 4000	10000 - 4000	1400 - -
18.	01/2018	179(1) 179(2) 184	22 - 3	9500 - 2000	11000 - 3000	1500 - 1000
19.	02/2018	179(1) 179(2) 184	44 - 1	20800 - 1000	22000 - 1000	1200 - -
20.	03/2018	179(1) 179(2) 184	80 - 5	35200 - 4500	40000 - 5000	4800 - 500
21.	04/2018	179(1) 179(2) 184	66 - 5	29800 - 5000	33000 - 5000	3200 - -
22.	05/2018	179(1) 179(2) 184	174 - 14	78600 - 13500	87000 - 14000	8400 - 500
23.	06/2018	179(1) 179(2) 184	122 - 12	61000 - 12000	61000 - 12000	- - -
24.	07/2018	179(1) 179(2) 184	169 - 24	77200 - 22900	84500 - 24000	7300 - 1100
25.	08/2018	179(1) 179(2) 184	93 - 6	46500 - 6000	46500 - 6000	- - -
26.	09/2018	179(1) 179(2)	121 -	47700 -	60500 -	12800 -

		184	7	7000	7000	-
27.	10/2018	179(1) 179(2) 184	103 - 7	51100 - 7000	51500 - 7000	400 - -
28.	11/2018	179(1) 179(2) 184	108 - 12	53600 - 12000	54000 - 12000	400 - -
योगः				**1030800**	**2084000**	**1053200**

क्षेत्राधिकार का नाम	धारा जिसके तहत अपराध हुआ	कुल अपराध संख्या	वसूल की गई धनराशि	धनराशि जो वसूल की जानी थी।	कम वसूल की गयी धनराशि
कोटद्वार	179(1)	1955	496500	977500	481000
	184	745	503100	745000	241900
योगः		**2700**	**999600**	**1722500**	**722900**
सदर	179(1)	3646	870100	1823000	952900
	179(2)	98	20200	49000	28800
	184	212	140500	212000	71500
योगः		**3956**	**1030800**	**2084000**	**1053200**
महायोगः		**6656**	**2030400**	**3806500**	**1776100**

<u>भाग-II'ब'</u>

<u>प्रस्तरः1-</u> समय से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रेषित न किए जाने के कारण वित्तीय वर्ष 2017-18 में थाना विविध आवश्यक कार्य निधि के अंतर्गत द्वितीय एवं तृतीय किश्त ₹ 9.11 लाख से वंचित रहना।

शासनादेश सं. 1275/वीस 8/2017-10(01) 2017 गृह अनुभाग -8 दि. 9-11-2017 द्वारा प्रदेश के समस्त पुलिस थानों हेतु 66 थाना विविध आवश्यक कार्य निधि की स्थापना की गयी थी। इसका उद्देश्य यह था कि प्रदेश के सभी थानों को आवश्यक कार्य हेतु धनराशि आवंटित की जाए ताकि उन्हे धनराशि के अभाव में न केवल कार्यों को शिथिल करनी पड़ें वरन कार्य में शुचिता एवं पारदर्शिता का भी ध्यान रखा जा सके। इसके लिए शासनादेश के बिन्दु संख्या 4 में निहित क से च तक में आने वाले कार्यों पर व्यय किया जाना था। उक्त आबंटन की अवमुक्ति 50% प्रथम किश्त एवं 25-25 प्रतिशत की दो किश्तें जारी की जानी थी। शर्त यह थी कि प्रथम किश्त के व्ययोपरांत माह दिसम्बर 2017 के अंतिम सप्ताह तक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा धनराशि के उपयोग संबंधी उपयोगिता प्रमाण पत्र महानिदेशक पुलिस मुख्यालय को प्रेषित करने के उपरांत ही द्वितीय एवं तृतीय किश्त जारी किया जाना था।

उपर्युक्त आबंटन से संबन्धित अभिलेखों की जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में आबंटित प्रथम किश्त ₹ 9.11 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र जनपद मुख्यालय द्वारा पुलिस महानिदेशक को 12/17 की बजाय 4/18 में प्रेषित किया गया जो वित्तीय वर्ष 2017-18 के समाप्ति के उपरांत था। उक्त शिथिलता के कारण जनपद के समस्त थानों को उक्त योजना के तहत ₹ 9.11 लाख के आबंटन, अवमुक्ति से वंचित रहना पड़ा जो शासन द्वारा थानों के कार्य में गुणवत्ता एवं पारदर्शिता के उद्देश्य के विपरीत था एवं पुलिस विभाग के पुराने ढर्रे पर कार्य करने के लिए प्रेरित करने का द्योतक था।

इस संबंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि प्रथम किश्त समय से व्यय न करने के कारण द्वितीय एवं तृतीय किश्त प्राप्त नहीं हुई।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है। जनपद मुख्यालय पौड़ी द्वारा अधीनस्थ थानों को समुचित दिशा-निर्देश जारी नही किए गए जिसके कारण समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित नही किया जा सका।

अतः उपयोगिता प्रमाण पत्र समय से प्रेषित न करने के कारण जनपद में स्थित थानों को द्वितीय एवं तृतीय किश्त के ₹ 9.11 लाख से वंचित रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

<u>भाग-II'ब'</u>

<u>प्रस्तर:2</u>- निष्प्रयोज्य वाहनों एवं वस्तुओं की नीलामी का लंबित रहना।

सामान्य वित्तीय नियम 2005 के नियम 196 के अनुसार "Disposal of Goods: (i) An item may be declared surplus or obsolete or unserviceable if the same is of no use to the Ministry or Department. The reasons for declaring the item surplus or obsolete or unserviceable should be recorded by the authority competent to purchase the item. (ii) The competent authority may, at his discretion, constitute a committee at appropriate level to declare item(s) as surplus or obsolete or unserviceable." तथा नियम 197 में निष्प्रयोज्य वस्तुओं के disposal के संबंध में वर्णन है कि " Modes of disposal : (i) Surplus or obsolete or unserviceable goods of assessed residual value above Rupees Two Lakh should be disposed of by : (a) obtaining bids through advertised tender or (b) public auction, and (ii) For surplus or obsolete or unserviceable goods with residual value less than Rupees Two Lakh, the mode of disposal will be determined by the competent authority, keeping in view the necessity to avoid accumulation of such goods and consequential blockage of space, and, also deterioration in value of goods to be disposed of. "

कार्यालय की निष्प्रयोज्य वाहनों की जांच के दौरान पाया गया कि एक दोपहिया वाहन तथा एक रिकवरी van कार्यालय में निष्प्रयोज्य अवस्था में थे , जिनका कुल खरीद मूल्य ₹ 930237.00 था। इसके साथ ही स्टॉक में ₹ 4.27 लाख की सामग्री निष्प्रयोज्य थी।

इस संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर कार्यालय द्वारा बताया गया कि निष्प्रयोज्य वस्तुओं की नीलामी कर लेखापरीक्षा को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तर:1</u>- ₹ 2.65 लाख का लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किया जाना।

गुप्त व्यय से संबन्धित मामलों में वित्तीय हस्तपुस्तिका लेखानियम खंड 5 भाग 1 के पैरा 206 के अनुसार स्तम्भ 1 के मामलों में दिये गए अनुप्रमाणित अधिकारी प्रत्येक वर्ष में एक बार स्तम्भ 2 में दिये गए अधिकारी द्वारा नियत व्यय का ऑडिट किया जाए तथा निम्न वर्ष जिससे वह संबन्धित है 31 दिसंबर से पूर्व महालेखाकार को विहित प्रारूप में महालेखाकार को एक प्रमाण पत्र अग्रेषित किया जाए।

कार्यालय के अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि 2015-16 से 2017-18 तक गुप्त सेवा मद में निमन्वत व्यय किया गया :

वर्ष	**व्यय धनराशि (₹)**
2015-16	40,000
2016-17	1,20,000
2017-18	1,05,000
योग	**2,65,000**

उपरोक्त धनराशि के गुप्त सेवा मद में व्यय के सापेक्ष लेखापरीक्षा का प्रमाण पत्र महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा ईकाई का ध्यान इस ओर आकृष्ट किए जाने पर उत्तर दिया गया कि प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में महालेखाकार को प्रेषित कर दिया जाएगा।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-2 'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-2 'ब' प्रस्तर संख्या**	**STAN**
29/2011-12	-	1	-
03/2013-14	-	1	-
39/2014-15	-	1,2	-
63/2015-16	-	1	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
29/2011-12	भाग 2 ब -1	अनुपालन प्रस्तुत नहीं किया गया	अनुपालन न होने तक प्रस्तर यथावत रखा जाता है	
03/2013-14	भाग 2 ब-1(अ एवं ब)	अनुपालन प्रस्तुत नहीं किया गया	अनुपालन न होने तक प्रस्तर यथावत रखा जाता है	
39/2014-15	भाग 2 ब -1,2	अनुपालन प्रस्तुत नहीं किया गया	अनुपालन न होने तक प्रस्तर यथावत रखा जाता है	
63/2015-16	भाग 2 ब -1	अनुपालन प्रस्तुत नहीं किया गया	अनुपालन न होने तक प्रस्तर यथावत रखा जाता है	

भाग-IV

इकाई के सर्वोतम कार्यः- शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पौड़ी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**-शून्य**
2. सतत् अनियमिततायेः-शून्य
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि	
			कब से	कब तक
1	श्री राजीव स्वरूप	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	03/03/2016	08/05/2016
2.	श्रीमती निवेदिता कुकरेती	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	08/05/2016	13/12/2016
3.	श्री मुख्तार मोहसिन	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	13/12/2016	17/05/2017
4.	श्री जगत राम जोशी	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	18/05/2017	वर्तमान तक

4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारी का कार्यभार वहन किया गया-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि	
			कब से	कब तक
1	श्री धन सिंह तोमर	पुलिस उप अधीक्षक	03/2016	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियनितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मलित कर एक प्रति कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/सामान्य क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

सामान्य क्षेत्र